भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

ट्रस्ट डीड

पहचान मुकिर :–आधार कार्ड– 687223236416,
मो0नं0:– 9811794676

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 762510

यह विलेख आज दिनॉक–25–अगस्त–2018 को श्री प्रवीन कुमार पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ उ0प्र0 द्वारा निष्पादित किया गया।

1–ट्रस्ट का नाम– श्री कुमर सैन शर्मा एजूकेशनल ट्रस्ट ।

2–ट्रस्ट का पता– ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ ।

शाखा कार्यालय– ट्रस्ट की शाखायें भारतवर्ष में अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती है ।

3–ट्रस्ट में लगाया गया धन– ट्रस्ट में लगया गया धन <u>10,000/–(दस हजार रूपये)</u> नगद धनराशि श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ उ0प्र0 द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गई वर्तमान में ट्रस्ट के पास उक्त धनराशि के अलावा कोई अचल चल सम्पत्ति नही है।

"भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवम् स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा ।"

4–ट्रस्ट के तत्व– *<u>ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है:–</u>*

ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है । आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा । इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

<u>उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे:–</u>

1–श्री प्रवीन कुमार पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ
——मुख्य ट्रस्टी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ED 461971

2–श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुमर सैन शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ
———ट्रस्टी

3–श्री सौरभ दीक्षित पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ
———ट्रस्टी

5– ट्रस्ट के उद्देश्य–

1– ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह स्कूल, कालेज, इन्स्टीट्यूशन्स की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2– स्ट्रीट चिल्ड्रन, व अनाथ, बेसहारा, निर्धन बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध व उन्हें योग्य नागरिक बनाने हेतु निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोडना । बाल गुरूकुल विद्यालय, खुला आश्रमगृह, खोलना व उनके पुनर्वास हेतु विभिन्न कार्यकम चलाना ।

3– शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इण्टर मीडिएट कालेज, सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई शिक्षा पद्धति पर एवं उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज, पी0जी0 कालेज, की स्थापना करना।

4– उच्च शिक्षा विकास हेतु युवक–युवतियों के लिये आधुनिक शिक्षापरक शिक्षण संस्थानों तकनीकी, इंजीनियरिंग, औद्योगिक, व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि एवं प्रबन्धन शिक्षा संस्थानों, बी.टी.सी, बी.एड., डी.एल.एड., एम.एड, लॉ कालेज, मेडिकल कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालजों, आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज की स्थापना कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ED 461972

06 AUG 2018

5– शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यकम पर आधारित शिक्षण संस्थानों डीम्ड यूनीवर्सिटी, की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी. एस.ई., आई.सी.एस.ई., एन.सी.आर.टी., यू0जीसी0, ए0आई0सी0टी0, एन0आई0ओ0एस0 शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।

6– ट्रस्ट के नाम से व अन्य नामों से कार्यक्षेत्र में जगह–जगह विद्यालय, स्कूल, कालेजों इन्स्टीट्यूशन, प्राईवेट आई.टी.आई कोचिंग सेन्टर, छात्रावास, पुस्तकालय आदि की स्थापना करना निर्धन व अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना ।

7– केन्दीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिग कला प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन, तथा टंकण, आशुलिपि, संगीत एवं कम्प्यूटर (हार्डवेयर–साफ्टवेयर) पच्चेकारी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

8– देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाले ट्रस्ट/संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यकम चलाना, तथा जो ट्रस्ट/संस्थायें कार्य करने में/संचालित संस्थानों के प्रबन्धन में अक्षम हों उनका अपने ट्रस्ट में विलय करना ।

9– समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यकमों एवं जागरूकता शिविरों, निशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, प्रौढ शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन कार्यकम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेद्य कार्यकम, वृक्षारोपण कार्यकम व्यापक स्तर पर चलाना ।

10–जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यॉत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यकमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना ।

क्रमशः—— 4 पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11– समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक वधिरों, मंदबुद्धि, विकलांगों व निराश्रित,लाचार बच्चों, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना बालआश्रम, अनाथालय एंव वृद्धाश्रम, सामाजिक कार्यो हेतु धर्मार्थ संस्थान/सेवासदन की स्थापना करना।

12– केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कन्या भ्रण हत्या के कानून को प्रभावी बनाने में सरकार की मदद करना व कन्याओं के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुँचाना। बेटी बचाओ व बेटी पढाओं जैसे कार्यकम को सफल बनाना।

13– समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों को खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ, सूखा, भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

14– पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, सवर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं, वन्यजीवों के लिए पशुशाला, गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एंव गायों के गोबर व मूत्र और आयुर्वेदिक जडी बूटियों से औषधि तैयार कर उसका प्रचार करना तथा गाय के गोबर, एवं गौ मूत्र का खाद एवं औषधि के रूप में उपयोग किये जाने की प्रेरणा देना। लघु कुटीर व ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था युवक–युवतियों को आत्मनिर्भव स्वावलम्बी बनाना।

15– निरन्तर गिर रहे भूजल को रोकने व जल के अनैतिक दोहन को रोकना एवं विलुप्त हो रहे पोखर, तालाबों, जलश्रोतों, जलाशयों जो कि जल संचयन/संरक्षण में सहायक है उन्हें पुराने स्वरूप में लौटाने का प्रयास करना। जल ही जीवन है के महत्व को जन–जन तक पहुँचाना।

16– संस्था द्वारा समाजसेवी कार्य जैसे जगह–जगह प्याऊ बनवाना, शीतकाल में रात्रि रैनबसेरा लगवाना आदि जो समाज हित में हो कार्य सम्पादित करवाना।

17– ट्रस्ट का उद्देश्य इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट–1882 के अन्तर्गत अव्यवसायिक, अलाभकारी है।

6–ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र–सम्पूर्ण भारतवर्ष ।

क्रमशः—— 5 पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 747659

7– ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य– ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन व अनुदान दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाते में किसी भी बैंक में जमा की जायेगी । जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लिये लेन–देन करने (बैंक खाता आपरेट) के लिये सचिव/प्रबन्धक मुख्य ट्रस्टी एंव कोषाध्यक्ष ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगें। समस्त धनराशि बैंक में जमा रहेगी। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों व सेवा कार्य हेतु जमा धनराशियों की निकासी प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

8–ट्रस्टियों की नियुक्ति–ट्रस्ट में वर्तमान मे तीन आजीवन ट्रस्टी है जो ट्रस्ट में आजीवन पदाधिकारी रहेगें । इनके वंशज के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी व्यक्ति भविष्य में ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं होगा।

9–ट्रस्ट की सदस्यता–ट्रस्ट को भविष्य में 50,000/–(पचास हजार रूपया) रूपया या इससे अधिक अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति देने पर आजीवन सभी ट्रस्टी सदस्यों के बहुमत से ट्रस्ट का ट्रस्टी सदस्य बनाया जायेगा।

10–संचालित संस्थानों की प्रबन्धसमितियों में नामित सदस्य–

ट्रस्ट द्वारा संचालित इन्स्टीट्यूट, कालेज व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होगें, संचालित संस्थानों की प्रबन्धसमितियों में ट्रस्टी सदस्यों को ही अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष पद के लिये भेजा जायेगा, ट्रस्टी पदाधिकारीगण ही संचालित संस्थानों के पदाधिकारी होगें, अन्य सदस्यों के लिये ट्रस्टी पदाधिकारी जिसे उपयुक्त समझें ट्रस्टीजनों में से संचालित संस्थानों की प्रबन्धसमिति में सदस्य पद पर भेज सकेगें। परन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या 12 से अधिक न होगी।

क्रमशः—— 6 पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 747660

विशिष्ट सदस्य–चिकित्सा, शिक्षा, समाजसेवा, साहित्य एवं संस्कृति आदि के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां अर्जित करने वाले व्यक्तियों को पॉच वर्ष के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशिष्ट सदस्य नामित किया जा सकेगा। ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम पॉच होगी । ऐसे सदस्यों को किसी मीटिंग/निर्वाचन आदि में मत आदि देने का अधिकार न होगा।

11–ट्रस्ट मण्डल(प्रमुख)–ट्रस्ट में श्री प्रवीन कुमार पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ उ0प्र0 ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव आजीवन पदाधिकारी रहेगें । ट्रस्टी श्री सुरेश चन्द्र शर्मा की मृत्यु के बाद उनके वंशज उत्तराधिकारीगण ट्रस्ट के सदस्य/पदाधिकारी बन सकेगें। इसके अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य/पदाधिकारी नही रह सकेगा ।

12–ट्रस्टियों की संख्या–ट्रस्ट में निम्न तीन पदाधिकारी रहेगें सदस्यों की संख्या भविष्य में मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टी सदस्यों की घटाई/बढाई जा सकती है जिनकी अधिकतम संख्या–7 होगी ।

कम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुमर सैन शर्मा	ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ उ0प्र0	अध्यक्ष	व्यापार
2–श्री प्रवीन कुमार पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा	ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ़ उ0प्र0	सचिव/प्रबन्ध	व्यापार
3–श्री सौरभ दीक्षित पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा	ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ़ उ0प्र0	कोषाध्यक्ष	व्यापार

क्रमशः—— 6 पर

13–ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 747661

अध्यक्ष–1–समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना ।

2–सभा में किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3–ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी विधि सलाहकार के सहयोग से करना व करवाना ।

4–सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कार्यो की समीक्षा करना एवं कार्यो की जिम्मेदारियां सौपना व समय–समय पर उन्हें निर्देशित करना ।

5–ट्रस्ट के उद्देश्यों, नियमों प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य एवं अनुशासनहीनता करने पर किसी भी संस्थान/इन्स्टीट्यूशन के सदस्य/पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाना ।

6–ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

सचिव/प्रबन्धक–1–ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, अध्यक्ष के आदेश से मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

2–ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व वार्षिक बजट तैयार कर स्वीकृति हेतु अध्यक्ष के समक्ष मीटिंग में रखना ।

3–ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

4–ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना, एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण कराना ।

5–ट्रस्ट की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चन्दा ऋण, प्राप्त करना, व सदस्यों को उसकी रसीद देना ।

6–ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों इकाईयों में कार्यरत, कर्मचारियों सेवकों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

क्रमशः—— 7 पर

7–कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना, शिक्षण संस्थानों की मान्यता सम्बद्धता आदि के सम्बन्ध में पत्राचार करना व सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों, शासन आदि से सम्पर्क स्थापित कर सम्बद्धता प्राप्त करना ।

8–कार्यो की देखभाल करना व ट्रस्ट के वार्षिक हिसाब किताब आदि की आडीटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से जॉच कराना, और जॉच रिपोर्ट व हिसाब को प्रबन्ध कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

9– आकस्मिक व्यय हेतु 100,000/–रूपया तक अपने पर रखना व व्यय करना ।

10–ट्रस्ट हितार्थ अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उन्नति एवं विकास में सहायक हों ।

कोषाध्यक्ष– अध्यक्ष एव सचिव/प्रबन्धक के मागदर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन संग्रह करना। कोषाध्यक्ष संस्था के सम्पूर्ण आय–व्यय का व हिसाब–किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा । ट्रस्ट के आय व्यय बही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जॉच हेतु ट्रस्टी पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना। अपने पास आकस्मिक व्यय हेतु 20,000/– रूपया तक रखना एवं ट्रस्ट के कार्यो में आवश्यक होने पर व्यय करना।

14–ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष– ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा ।

15–

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल, कालेज, व अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिये प्रबन्धसमिति का चुनाव इन्हीं आजीवन ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा ।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों एवं अन्य धमार्थ संस्थानों में पदाधिकारियों की नियुक्ति आजीवन ट्रस्टी सदस्यों में से ही की जायेगी तथा शेष सदस्यों को ट्रस्टी पदाधिकारियों द्वारा पॉच वर्ष के लिये नामित किया जायेगा ।
3. **श्री कुमर सैन शर्मा एजूकेशनल ट्रस्ट** के संस्थापक ट्रस्टी श्री प्रवीन कुमार पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ

क्रमशः—— 8 पर

है ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्कूल कालेज, अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का विधिवत सुचारू रूप से संचालित कराने का पूरा अधिकार व दायित्व श्री सुरेश चन्द्र शर्मा जी के उत्तराधिकारीगणों का रहेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 747663

16— ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवसान, मृत्यु या कोई भी नैतिक दोष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से यदि मुख्य ट्रस्टी द्वारा के निर्णय के आधार पर सदस्यता/पद समाप्त हो जाता है तो ऐसे पद/स्थान रिक्त होने पर ट्रस्ट के शेष सभी आजीवन ट्रस्टीगणों को रिक्त स्थान/पद को भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

17— ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी पदाधिकारियों को ट्रस्ट सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ट्रस्ट हित में निस्तारित करने का अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव उक्त सदस्यों से एक मत से पारित किया जाना आवश्यक होगा ।

18— ट्रस्ट के ट्रस्टी पदाधिकारियों को यह अधिकार रहेगा वह किसी ऐसे ट्रस्टी को पद से हटा सकता है तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जो उक्त ट्रस्ट के लिये अवांछनीय अथवा ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वाधक हो ।

19— ट्रस्ट के ट्रस्टी पदाधिकारीगणों को ट्रस्ट सम्पत्ति को ऋण के ऐवज में बन्धक रखने का भी अधिकार हासिल होगा, और इस सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रबन्धक/सचिव को ऋण प्राप्त करने के लिये अथवा ऋण के ऐवज में ट्रस्ट सम्पत्ति को बन्धक रखने के लिये अधिकृत किया जायेगा। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट की सम्पत्ति अथवा ट्रस्टीजन अपनी व्यक्तिगत सम्पत्तियों को किसी बैंक आदि के पक्ष में बन्धक रखते हुये वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त कर सकेगें । जिसका दायित्व सभी ट्रस्टीगणों का समान रूप से होगा ।

20— ट्रस्टीगणों को यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय–समय पर ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों, में संशोधन अथवा परिवर्तन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निमार्ण करें। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट–1882 व आय कर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) 11 से 13 एवं 80जी के प्राविधानों के विपरीत न हों । क्रमशः—— 10 पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 747664

21— ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी व ट्रस्ट की सम्पत्तियों के रख–रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य ट्रस्टी /प्रबन्धक/सचिव का ही होगा । अथवा इस कार्य हेतु अध्यक्ष किसी ट्रस्टी पदाधिकारी या विधिक सलाकार को अधिकृत करेगा । समस्त वाद–विवादों का न्यायिक क्षेत्र अलीगढ़ ही होगा ।

22— ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदत्त की गयी शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट–1882 के अर्न्तगत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेगें ।

23— ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक चंदा, अनुदान, वित्तीय सहायता आदि प्राप्त कर सकेगें एवं देश विदेश में अचल सम्पत्तियों शेयर मैच्युअल फण्ड आदि में निवेश करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी आजीवन प्रबन्धक/सचिव को होगा ।

24— ट्रस्टीगण समय–समय पर अपने बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति या उसके अंश को बन्धक करके अथवा बान्ड, डिवेंचर, रिसीट, प्रोमिजरी नोट, अथवा प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित, जैसा उचित समझे ट्रस्टीगणों द्वारा ट्रस्ट के लिये ऋण प्राप्त कर सकेगें अथवा ऋण दे सकेंगें ।

25—प्रतिबन्ध—

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

क्रमशः—— 11 पर

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH SJAA 747683

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षापरिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इम्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।

(5) संस्था के शिक्षण शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

(10) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

क्रमशः—— 12 पर

अगुलियों के चिन्ह हेतु नमूना प्रपत्र

(SPECIMEN FROM FOR TEN FINGERPRINT)

छोटी उगंली	अनामिका	मध्यामिका	तर्जनी	अंगूठा	बांया हाथ	हस्ता0
अंगूठा	तर्जनी	मध्यामिका	अनामिका	छोटी उगंली	दांया हाथ	

फोटो

छोटी उगंली	अनामिका	मध्यामिका	तर्जनी	अंगूठा	बांया हाथ	हस्ता0
अंगूठा	तर्जनी	मध्यामिका	अनामिका	छोटी उगंली	दांया हाथ	

फोटो

छोटी उगंली	अनामिका	मध्यामिका	तर्जनी	अंगूठा	बांया हाथ	हस्ता0
अंगूठा	तर्जनी	मध्यामिका	अनामिका	छोटी उगंली	दांया हाथ	

फोटो

छोटी उगंली	अनामिका	मध्यामिका	तर्जनी	अंगूठा	बांया हाथ	हस्ता0
अंगूठा	तर्जनी	मध्यामिका	अना	टी उगंली	दांया हाथ	

फोटो

उपनिबन्धक कार्यालय तहसील अतरौली..... अलीगढ

महानिरीक्षक निबन्धक उ0 प्र0 के प्ररिपत्र संख्या18/13 पी0 आर0 /परिपत्र 2012 शि0 लखनऊ दिनांक14.09.2012 के अनुसार कार्यालय प्रति साथ 6 प्रपत्र के साथ लिया जाने वाला अनिवार्य सलग्नक।

स्वहस्तक्षरित एवं प्रमाणित फोटोग्राफ विकेता/ विकेतागण			प्रवीन कुमार पुत्र श्री सुरेशचन्द्र शर्मा नि0 हरदोई तह0 अतरौली		
स्वहस्तक्षरित एव प्रमाणित फोटोग्राफ केता/ केतागण					

सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

में हित सम्पत्ति की फोटो जिसमे बिकीत सम्पत्ति से लगी हुई आस पास की सम्पत्ति की फोटो भी शामिल हो जिससे सम्पत्ति की स्पष्ट पहचान हो सके बिकीत सम्पत्ति को लाल रग से अनिर्वायतःचिहिन्तः किया जावे।

हस्ताक्षर एंव अंगूठा विकेता/ विकेतागण

हस्ताक्षर एंव अंगूठा केता/केतागण

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 747666

26– ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर अधिनियम की धारा–12 व 13 के प्रविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेगें ।

27–**ट्रस्ट की सम्पत्ति का हस्तान्तरण**–प्रबन्धक / सचिव ट्रस्ट के हित में ट्रस्टी पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर टस्ट्र की अचल–चल सम्पत्तियों का विधिवत हस्तान्तरण कर सकेगें।

28–**ट्रस्ट की सम्पत्ति का विलय**–यदि किसी कारणवश ट्रस्ट के विधान में विघटन की स्थिति पैदा होती है तो उसकी समस्त सम्पत्ति का विलय किसी समान उद्देश्यों वाले संस्थान या ट्रस्ट में किया जा सकेगा ।

अतः यह ट्रस्ट डीड उपरोक्त ट्रस्टीजनों द्वारा राजी व खुशी से बिला बहकाये व सिखाये व बिला किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में अपने परिवारीजनों से सलाह मशविरा किये लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे । तहरीर तारीख–25–अगस्त–2018 ई0 व मसौदा श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट तहसील अतरौली जिला–अलीगढ । [illegible]

ह0गवाह–

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी

(श्री प्रवीन कुमार)

1–श्री विकास उपाध्याय पुत्र **राजेन्द्रप्रसाद** उपाध्याय
नि0– मौ0 नगाइचपाडा कस्बा व तह0 अतरौली
डी0एल0 नं0 वी–16

विकास उपाध्याय

विकास उपाध्याय पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय नि0 मौ0 नगाइचपाडा कस्बा अतरौली

2–श्री सुम्मेर सिंह पुत्र धर्म सिंह
नि0– शेखूपुर तह0 अतरौली
आधार कार्ड सं0 – 899953740629

सुम्मेर सिंह पुत्र धर्मसिंह नि0 शेखूपुर तह0 अतरौली

Rakesh Kumar Sharma Advocate Reg. No. [illegible] Teh. Atrauli (Aligarh)

8/27/2018 पृष्ठ विलेख 60

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 90 के पृष्ठ 151 से 172 तक क्रमांक 10 पर
दिनाँक 27/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहित कुमार सक्सेना

अपर जिला निबंधक : अलीगढ़

अलीगढ़
27/08/2018